न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री साधू सिंह जात कम्बोसिख निवासी 45 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....अपीलान्ट.....

बनाम-

1. सरपंच ग्राम पंचायत 41 जी.बी. पंचायत समिति श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर
2. हरभिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 45 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर।
4. जागेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुचेत सिंह जाति जटसिख निवासी 45 जी.बी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण.....

उपस्थिति - श्री गुरविन्द्र सिंह कवातड़ा वकील रेस्पोडेन्ट
श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील अपीलान्टगण

(अपील)

प्रकरण संख्या - 01/2020 **निर्णय दिनांक - 21/07/2020**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि चक 45 जी.बी.(ए) का मु.नं. 28 प.नं. 203/451 का किला नं. 6/2 का 0.178 है., 7/2 का 0.178 है., 8/2 का 0.178 है., 9/2 का 0.177 है., 10/2 का 0.177 है., किला नं. 11 का 0.126 है., 12 ता 15 प्रत्येक 0.126 है. कुल 1.581 है. भूमि जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुचेत सिंह धारण करता था। अपीलान्ट ने जोगेन्द्र सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामादिनांक 18/10/2016 के द्वारा चक 45 जी.बी.(ए) का मु.नं. 28 प.नं. 203/451 का किला नं. 11 का 0.126 है. में से 0.00372 है. भूमि पश्चिमी दक्षिणी कूंट को खरीद कर लिया। अपीलान्ट के द्वारा बैयनामा प्रति पटवारी हल्का को दी थी किन्तु उपरोक्त रकबा पूर्व में रहन होने के कारण से बैयनामा का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया। इसके उपरान्त वर्ष 2019 में जोगेन्द्र सिंह के द्वारा ऋण अदा कर रकबा का रहन मुक्त करवा लिया तब सहवन

लगातार.....2

जिला कलेक्टर
श्रीविजयनगर

से पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के बैयनामा का इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया एवं जोगेन्द्र सिंह से उसका उपरोक्त खाता का शेष रहा हुआ रकबा को जरिये बैयनामा दिनांक 21/06/2019 के द्वारा गुरसाहब सिंह, हरभिन्द्र सिंह पुत्रान गुरचरण सिंह व गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरसाहब सिंह के द्वारा खरीद कर लिया गया जिसमें किला नं. 11 का रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरभिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के द्वारा खरीद किया गया जिसका नामान्तरण पटवारी हल्का के द्वारा किया जाने पर किला नं. 11 का 0.126 हे. समस्त का नामान्तरण आलोच्य इन्तकाल संख्या 312 से हरभिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया जो कि खिलाफ कानून होने से काबिले खारिजी के है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निम्न आधार पेश किये। आलोच्य इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया जबकि किला नं. 11 का 0.00372 है. पश्चिमी दक्षिणी कूंट भू भाग मेरे द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया हुआ था एवं उक्त भू भाग पर कब्जा खरीद रोज से ही मुझ अपीलान्ट का निरन्तर, शान्ति पूर्वक साधिकार चला आ रहा है जिस पर अपीलान्ट ने टयूबवैल स्थापित किया हुआ है। जिसका पूर्ण ज्ञान रेस्पोडेन्टगण को प्रारम्भ से है। बावजूद इसके मुझ अपीलान्ट को आलोच्य इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है एक पक्षीय तौर पर आलोच्य इन्तकाल दर्ज कर खिलाफ कानून कार्य किया है। इसलिए आलोच्य इन्तकाल काबिले खारिजी के है। उक्त आलोच्य इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व न तो किसी प्रकार की कब्जा काश्त की जांच की गई है और न ही किसी प्रकार की अन्य कोई जांच की गई। कार्यालय में बैठ कर प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के द्वारा मिलीभगत कर आलोच्य इन्तकाल दर्ज एवं स्वीकृत किया गया है जो कि काबिले खारिजी के हैं आलोच्य इन्तकाल की जानकारी अपीलान्ट को अपने रकबा की फसल विक्रय हेतु गिरदावरी लेने पटवारी हल्का के पास जाने पर पटवारी हल्का से दिनांक 19/05/2020 को हुई। जिस पर अपीलान्ट ने उसी समय आलोच्य इन्तकाल की नकल प्राप्त की एवं इस बाबत रेस्पोडेन्ट से मिकर आलोच्य इन्तकाल गलत दर्ज होने की जानकारी देकर आलोच्य इन्तकाल को आपास्त करवाकर चक 45 जी.बी. (ए) का मु.नं. 28 का किला नं. 11 का 0.00372 है. भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम से करवाने की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा किन्तु रेस्पोडेन्ट हरभिन्द्र सिह ने उक्त कार्यवाही में सहयोग करने से साफ इन्कार कर दिया व दिनांक 23/05/2020 को हरभिन्द्र सिंह के द्वारा जबरन उक्त भू-भाग पर कब्जा करने नियत से ट्रेक्टर लेकर प्रवेश करने एवं काश्त करने का प्रयास किया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर रेस्पोडेन्ट हरभिन्द्र सिंह को समझाया तो वह एक बार तो वापिस चला गया। किन्तु रेस्पोडेन्ट के द्वारा आलोच्य इन्तकाल अपने पक्ष में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अपीलान्टके कब्जा काश्त की खरीद शुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं मदाखलत करने की धमकी दी है। व उक्त जगह को अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य को रहन विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर स्वयं या अन्य गुण्डा प्रवृति के लोगों के माध्यम से कब्जा करने की धमकी दी जा रही है।

लगातार.....3

कलेक्टर
नालागढ़

यदि ऐसा करने में रेस्पोडेन्ट सफल हो जाता है तो अपीलान्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, काश्त सम्बन्धी कार्यो को करने में भारी परेशानी एवं असुविधा होगी। इसलिए, आलोच्य इन्तकाल की क्रियान्विती में उक्त भूमि बाबत कोई संव्यवहार करने से रेस्पोडेन्टगण को रोका जाना अति आवश्यक है। उक्त आलोच्य इन्तकाल की पूर्व में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी चूंकि आलोच्य इन्तकाल से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही कोई नोटिस दिया गया है समस्त कार्यवाही एक पक्षीय तौर पर की गई होने से इसकी जानकारी नहीं थी। आलोच्य इन्तकाल की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 19/05/2020 को पटवारी हल्का से हुई है। जिस पर नकल इन्तकाल प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट से वार्ता की जिस पर दिनांक 23/05/2020 को रेस्पोडेन्ट के द्वारा आलोच्य इन्तकाल निरस्त करवाने की कार्यवाही में सहयोग करने से इन्कार करने पर बिना देरी अपील जानकारी रोज से अन्दर मियाद पेश हैं। जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिस क्षमा करवाने हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है।

अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि आलोच्य इन्तकाल संख्या 312 स्वीकृति दिनांक 05/08/2019 को चक 45 जी.बी.(ए) का मु.नं. 28 प.नं. 203/451 का किला नं. 11 की हद तक दर्ज किया गया इन्तकाल आपास्त कर अपीलान्ट के पक्ष में हुए बैयनामा का इन्त्काल अपीलान्ट के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत 41 जी.बी. द्वारा अपने जवाब में प्रस्ताव रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील आंशिक स्वीकार करते हुए निवेदन किया मेरे द्वारा किसी प्रकार अपीलान्ट के खरीद शुदा एवं कब्जा काश्त की भूमि चक 45 जी.बी. (ए) का मु.नं. 28 का किला नं. 11 का 0.00372 है. भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया है। तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट की जरिये बैयनामा खरीद शुदा भूमि 0.00372 है. भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट के नाम से किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूर्णतया सहमत हूँ। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए अपील में दर्ज तथ्यों से सहमत प्रकट करते हुए निवेदन किया कि यदि अपीलान्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किये जाते है तो उसें कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा लिखित राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया। जो पत्रावली के संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलान्ट के

लगातार.....4

जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

द्वारा जाहिर किया कि विवादित इन्तकाल के किला नं. 11 में अपीलान्ट के खरीद शुदाबैयनमा रकबा 0.0032 है. पश्चिम-दक्षिण कोना की हद तक इन्तकाल निरस्त कर इस विवादित किला नं. 11 का अपीलान्ट के उक्त अनुसार व शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से रका का पुनः अमलदरामद करने का निवेदन किया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा कोई आपत्ति, एतराज नहीं होना व रकबा उक्त अनुसार बेचान करना स्वीकार किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन अपीलान्ट की अपील राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है, राजीनामा अनुसार इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 05/08/2019 ग्राम पंचायत 41 जी.बी. का चक 45 जी.बी. (ए) का प.नं. 203/451 मु.नं. 28 का किला नं. 11 का 0.126 है. हद तक निरस्त कर अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्री विजयनगर को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि इस विवादित किला नं. 11 का 0.126 है. में से 0.00372 है. पश्चिम-दक्षिण कोना का अपीलान्ट कुलदीप सिंह पुत्र श्री साधु सिंह के नाम व किला नं. 11 का शेष रकबा बदस्तुर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरभिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम किया जावे। शेष रकबा इन्तकाल संख्या 312 दिनांक 05/08/2019 से बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर

श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Bishnoi

Date: 2020.08.26 11:16:58 IST

Reason: SelfAttested

Location: